

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

- रुकसाना बानो पत्नी स्व. रज्जाक मोहम्मद जाति पिनारा निवासी ग्राम भोगादीत अराई जिला अजमेर राज व अन्य। -वादी।

बनाम

- नवीबक्ष पुत्र भूरा जाति पिनारा मुसलमान निवासी ग्राम पारली तहसील ~~भारपुर~~ जिला अजमेर राजस्थान व अन्य। -प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 88,188,92ए,209 राज0 का0 अधि01955

नंबर 33/2023

ऑनलाइन नंबर 2023 /

वकील वादी :- अशोक शर्मा

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
06.07.2023	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 188,209,88,92ए राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन द्वारा की जाकर पत्रावली दिनांक 13.07.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
13/7/23	पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षकारान् उप. / तलबी हेतु समय चाहा/वास्तुतः पत्रावली दिनांक 10/8/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
10/8/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर ध्यारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 06/9/23 को पेश हो।	
6/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर ध्यारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/10/23 को पेश हो।	
05/10/23	पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षकारान् उप. / तलबी हेतु समय चाहा/वास्तुतः पत्रावली दिनांक 05/11/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	

